भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1430

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न**

1430. श्री तारिक अनवर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूरित किया जा रहा अनाज जरूरतमंद लोगों तक सुचारू ढंग से नहीं पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समुचित वितरण के लिए राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) इसकी निगरानी के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क),(ख) और (ग):** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्‍द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्‍त जिम्‍मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्‍द्र सरकार खाद्यान्‍नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्‍मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्‍नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्‍हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्‍नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्‍मक जिम्‍मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह आदेश दिया गया है कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्‍चित करने के लिए सभी अपेक्षित कार्रवाई करें। इस आदेश के प्रावधानों के उल्‍लंघन में किया गया अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दण्‍डनीय है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह व्‍यवस्‍था है कि भारतीय खाद्य निगम अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामित कोई अन्‍य एजेंसी केन्द्र सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु राज्‍य सरकारों को उचित औसत गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍नों की भौतिक सुपुर्दगी सुनिश्‍चित करेगी। राज्‍य सरकारें केन्द्र सरकार से खाद्यान्‍नों का आवंटन मिलने पर भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्‍न लेने के लिए अपनी एजेंसियों अथवा नामितियों को जिला-वार प्राधिकार आवंटन आदेश जारी करेंगी। राज्‍य सरकार यह सुनिश्‍चित करने के लिए आवश्‍यक जांच की व्‍यवस्‍था करेगी कि उनके द्वारा उठान की गई पूर्ण मात्रा उनके गोदामों और उसके बाद उचित दर दुकानों पर पहुंच जाए। राज्‍य सरकार का नामित प्राधिकारी उचित दर दुकानों को किए गए आवंटन आदेश की एक प्रति ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका या सतर्कता समिति या संबंधित राज्‍य सरकार द्वारा उचित दर दुकानों के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए नामित किसी निकाय को दिया जाना भी सुनिश्‍चित करेगा।

...........2...

- 2 -

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है।लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिएसरकार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करने, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्‍नों की समय से उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्‍चित करने, विभिन्‍न स्‍तरों पर मॉनीटरिंग और सतर्कता में सुधार करने तथा विभिन्‍न स्‍तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में कंप्‍यूटरीकरण जैसी नई प्रौद्योगिकियां लागू करने के लिए नियमित रूप से अनुरोध करती रही है। सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पत्र भी लिखती है और बैठकों और सम्‍मेलनों के दौरान उनके कार्य-निष्‍पादन की समीक्षा करती है।

...........